रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2015/ज्येष्ठ 22, 1937

No. 388] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2015/JYAISTHA 22, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2015

सा.का.नि. 487(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 878(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करवा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 8 दिसंबर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त, प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64, धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (आठवाँ संशोधन) नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 115 के उपनियम (14) के खंड (चक) के, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि उपनियम (15) के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् विनिर्मित तिपहिया यानों के नए यान माडल था। 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् विनिर्मित तिपहिया यान के विद्यमान यान माडल, उपनियम (17) की अपेक्षानुसार अनुमोदित प्रकार के होंगे :

परंतु यह भी कि उत्पादन अनुरूपता अपेक्षाएं भी उपनियम (17) में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।"।

(ii) उपनियम (16) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**(17) तिपहिया यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत स्तर 4) :**1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् विनिर्मित तिपहिया यानों के लिए नये यान माडलों और 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् विनिर्मित तिपहिया यानों के विद्यमान यान माडलों के द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत स्तर 4):

क. गैसोलीन इंजन से सुसज्जित तिपहिया यान

सारणी 1

	सीओ	एचसी + NOx	
		यदि वाष्पशील उत्सर्जन 2.0 ग्राम/परीक्षण का अनुपालन करता है	यदि वाष्पशील उत्सर्जन 6.0 ग्राम/परीक्षण का अनुपालन करता है
(1)	(2)	(3)	(4)
टी.ए.=सी.ओ.पी. मानक (ग्रा./कि.मी.)	0.940	0.940	0.740
डी.एफ. (गुणह्रास कारक)	1.2	1.2	1.2

ख. संपीड़ित प्राकृतिक गैस सी.एन.जी. या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एल.पी.जी. इंजन से सुसज्जित तिपहिया यान:

सारणी-2

	सीओ	एचसी + एनओएक्स
(1)	(2)	(3)
टी.ए.=सी.ओ.पी. मानक (ग्रा./कि.मी.)	0.940	0.940
डी.एफ. (गुणह्रास कारक)	1.2	1:2

ग. संपीड़न ज्वलन इंजन से सुसज्जित तिपहिया यान:

सारणी-3

	सीओ	एचसी + एनओएक्स	पी.एम.
(1)	(2)	(3)	(4)
टी.ए.=सी.ओ.पी. मानक (ग्रा./कि.मी.)	0.380	0.380	0.0425
डी.एफ. (गुणह्रास कारक)	1.1	1.0	1.2

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,--

(i) संपीड़ित प्राकृतिक गैस रीति से प्रचालित यानों के लिए नियम 115ख के उपबंध लागू होंगे ।

(ii) द्रविकृत पेट्रोलियम गैस रीति से प्रचालित यानों के लिए नियम 115ग के उपबंध लागू होंगे ।

(iii) उपनियम (12) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंध, उपनियम के अंत में आने वाले परंतुक के सिवाय, लागू होंगे ।

(iv) गैसोलीन से सज्जित यानों के लिए संदर्भ ईंधन उपाबंध 4ञ में और डीजल इंजन से सज्जित यानों के लिए संदर्भ ईंधन उपाबंध 4ट में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होगा और संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए संदर्भ ईंधन वह होगा जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हो ।

(v) वाणिज्यिक गैसोलीन और डीजल के लिए विनिर्देश ऐसे होंगे, जो क्रमश: उपबंध 4ढ और उपबंध 4ण में विनिर्दिष्ट हैं और उप नियम 15 के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक ईंधन गैसोलीन के लिए भारतीय मानक विनिर्देश ब्यूरो आई एस : 2796-2008 (संशोधन संख्या 1 जनवरी, 2008) और डीजल के लिए आई एस : 1460-2005 (पांचवां पुनर्रीक्षण) के अनुसार होगी ।

(vi) संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस विनिर्देश समय-समय पर अधिसूचित होंगे।

(vii) उत्पादन की पुष्टि (सीं.ओ.पी.) परीक्षण प्रक्रिया वह होगी जो समय-समय पर यथासंशोधित MoRTH/CMVR/TAP-115/116 में विहित है।

(viii) इसमें विनिर्दिष्ट गैसोलीन या संपीड़ित प्राकृतिक गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यान उपनियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का पालन करेंगे।

(ix) इसमें विनिर्दिष्ट डीजल यान उपनियम (2) के खंड (ii) के उपबंधों का पालन करेंगे।

(x) गैसोलीन चालित यान प्रणाली के लिए क्रेंककेस वातायन को वातावरण में किसी क्रेंककेस गैस के उत्सर्जन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(xi) गैसोलीन चालित यानों के लिए उद्वाष्पन उत्सर्जन, इस बात पर निर्भर करते हुए कि विनिर्माता द्वारा अंगीकृत एच.सी.+एनओएक्स के लिए मानक द्रव्यमान उत्सर्जन मानकों की सारणी 1 के क्रमश: स्तंभ (3) या स्तंभ (4) है या नहीं, 2.0 ग्राम/परीक्षण या 6.0 ग्राम/परीक्षण से अधिक नहीं होंगे। परीक्षण प्रक्रिया, समय समय पर यथा संशोधित MoRTH/CMVR/TAP-115/116 के अनुसार होगी।"।

[सं. आरटी-11028/10/2014-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 412(अ) तारीख 19/05/2015 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2015

G.S.R. 487(E).–Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 878(E), dated the 8th December, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 8th December, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 115,- (i) in sub-rule (14), in clause (FA) after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided also that for new vehicle models of three wheelers manufactured on or after the 1st April, 2016, and for existing vehicle models of three wheelers manufactured on or after 1st April 2017, for the areas other than those specified in clause (a) of sub-rule (15), shall be type approved as per requirements of sub-rule (17):

Provided also that the conformity of production requirements shall also be as specified in sub-rule (17).";

(ii). after sub-rule (16), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(17) **Mass emission standards (Bharat Stage IV) for three wheelers:** Mass emission standards (Bharat Stage IV) for new vehicle models of three wheelers manufactured on or after the 1st April, 2016 and for existing vehicle models of three wheelers manufactured on or after 1st April, 2017:

A. Three wheelers fitted with gasoline engine:

TABLE 1

	CO	HC+ NOx	
		If the evaporative emission complies with 2.0 g/test	If the evaporative emission complies with 6.0 g/test
(1)	(2)	(3)	(4)
TA=COP norms (g/km)	0.940	0.940	0.740
D.F. (Deterioration Factor)	1.2	1.2	1.2

B. Three wheelers fitted with Compressed Natural Gas (CNG) or Liquefied Petroleum Gas (LPG) engine:

TABLE 2

	CO	HC+ NOx
(1)	(2)	(3)
TA=COP norms (g/km)	0.940	0.940
D.F. (Deterioration Factor)	1.2	1.2

C. Three wheelers fitted with compression ignition engine:

TABLE 3

	CO	HC+NOx	PM
(1)	(2)	(3)	(4)
TA=COP norms (g/km)	0.380	0.380	0.0425
D.F. (Deterioration Factor)	1.1	1.0	1.2

Explanation.— For the purposes of this clause, it is clarified that,-

(i) for vehicles operating on compressed natural gas mode, the provisions of rule 115B shall be applicable;

(ii) for vehicles operating on liquefied petroleum gas mode, the provisions of rule 115C shall be applicable;

(iii) the provisions of clauses (a), (c), (d), (e) and (f) of sub-rule (12), except the proviso therein at the end of that sub-rule, shall be applicable;

(iv) the reference fuel shall be as specified in Annexure IV-J for vehicles equipped with gasoline and Annexure IV-K for vehicles equipped with diesel engines and reference fuel for compressed natural gas and liquefied petroleum gas shall be as available commercially;

(v) the specification of commercial gasoline and diesel shall be as specified in Annexure IV-N and Annexure IV-O, respectively and for the areas other than those specified in clause (a) of sub-rule 15, commercial fuel shall be as per the Bureau of Indian Standards specification IS: 2796-2008 (Amendment No. 1- January 2008) for gasoline and IS 1460:2005 (fifth revision) for diesel;

(vi) specification for commercial compressed natural gas and liquefied petroleum gas shall be as notified from time to time;

(vii) conformity of production (COP) test procedure shall be as described in MoRTH/CMVR/TAP-115/116 as amended from time to time;

(viii) gasoline or compressed natural gas or liquefied petroleum gas vehicles specified herein shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2);

(ix) diesel vehicles specified herein shall comply with the provisions of clause (ii) of sub-rule (2);

(x) crank case ventilation for gasoline driven vehicles system shall not permit the emission of any of the crank case gases into the atmosphere;

(xi) evaporative emission for gasoline driven vehicles shall not be more than 2.0 g/test or 6.0g/test, depending on whether the norm for HC+NOx adopted by manufacturer is from column (3) or column (4), respectively, of Table 1 of mass emission norms and the test procedure shall be as per MoRTH/CMVR/TAP-115/116, as amended from time to time.".

[No. RT-11028/10/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 412(E), dated 19/05/2015.

2596GI/15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.